

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 05.09.2025

जनपद आजमगढ़

01. थाना देवगांव- चोरी की मोटर साइकिल व अवैध तमंचा के साथ 01 हिस्ट्रीशीट अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आवेदक तुषार कुमार पुत्र रामजतन हरिजन निवासी ग्राम पतौरा थाना केराकत जनपद जौनपुर द्वारा थाना देवगांव पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की मोटरसाइकिल जिसका नं०- UP62CB2799 है को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिसकी काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिली। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 308/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 04.09.2025 को उ०नि० राजेश कुमार सिंह मय हमराह के गायत्री मोड़ पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मोटर साइकिल एक व्यक्ति लेकर खैरा नियमताबाद रोड़ से लहुवां कला गांव की तरफ जाने वाला है। इस सूचना पुलिस बल द्वारा खैरा नियमताबाद लहुवां मोड़ पहुंचकर चोरी की मोटर साइकिल, अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ समय करीब 04.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रिषू सिंह उर्फ बुलबुल उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र मुसाफिर सिंह निवासी लहुवां कला थाना देवगांव आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास:-

क्र.सं.	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
01	14/2016	41,411,414 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
02	97/2016	356 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
03	111/2016	294,341,354,506 भा.द.वि. व 3(1)2 SC/ST Act	देवगांव	आजमगढ़
04	376/2017	110G जा०फौ०	देवगांव	आजमगढ़
05	244/2021	406/506 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
06	491/2022	3/25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
07	011/2023	379 भा.द.वि.	देवगांव	आजमगढ़
08	308/2025	303(2),317(2) बीएनएस	देवगांव	आजमगढ़
09	312/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

01. उ०नि० राजेश कुमार सिंह थाना देवगांव आजमगढ़।
02. उ०नि० विनय कुमार सिंह , थाना देवगांव आजमगढ़।
03. का० पवन कुमार गोंड , थाना देवगांव आजमगढ़।

02.थाना-सिधारी:- रंगदारी माँगने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक- 19.06.2025 को वादी मुकदमा काजू यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव सा0 कटघर सदर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर बावत अभियुक्तगण अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह सा0 दौलतपुर थाना सिधारी व अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 नीवी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर दो अन्य साथी अज्ञात द्वारा गुण्डा टेक्स रंगदारी मांगने व गाली गुप्ता देने तथा मारने पीटने एवं मना करने पर अभि0 अमन सिंह द्वारा असलहा लहराते हुए दुकान न चलने देने तथा जान से मार देने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 307/2025 धारा 308(5)/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 1.अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह सा0 दौलतपुर थाना सिधारी, आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष 2.अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 नीवी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष व अन्य दो साथी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0 विधनेश वर्मा मय हमराह का0 सुरेन्द्र कुमार का0 अनुराग तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा छतवारा से हाईडिल चौराहे जाने वाले मार्ग के बेलनाडीह गेट के पास से अभियुक्त अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 नीवी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 13.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अनावरण अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 307/2025 धारा 308(5)/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

01. अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 नीवी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 261/21 धारा 323/504/506 ipc थाना मुबारकपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 393/25 धारा 115(2)/3(5)/351(3)/352 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 307/2025 धारा 308(5)/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 उ0नि0 विधनेश वर्मा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
02. का0 सुरेन्द्र कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
03. का0 अनुराग तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

जनपद –मऊ

01. गुमशुदा/खोए कुल तीन मोबाइल फोन लगभग 44,000 (चौवालीस हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना घोसी में गुमशुदा 03 मोबाइल फोन, 01 वीवो 15000 रु आवेदक दीपक पुत्र सतिराम निवासी परशुरामपुर, 01 रियलमी कीमत 15000 रु आवेदक संजय कुमार मल्ल पुत्र ब्रम्हा मल्ल निवासी जजौली, 01 इनफिनिक्स हॉट कीमत 14000 रु आवेदक राजन पटेल पुत्र फौजदार पटेल निवासी दरौंधा माधोपुर, कुल कीमत लगभग 44,000 (सत्तर हजार) रुपये आवेदकों को बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया। आवेदकों द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

3. ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व ₹25,500 के अर्थदंड से हुए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मानिट्रिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 04-09-2025 को मु0अ0सं0 166/12 व मु0अ0सं0 169/12 धारा 147, 148, 302, 120बी भादवी, 7 सीएल ए एक्ट व 3/25 आर्म एक्ट थाना कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्त प्रेम चन्द चौरसिया पुत्र सदावृक्ष चौरसिया निवासी चुंबनपुरा थाना कोपागंज, उदय नारायण चौरसिया पुत्र राजन चौरसिया, विकास चौरसिया पुत्र उदय नारायण चौरसिया निवासीगण तमलपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹25,500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

जनपद – बलिया

1. थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस द्वारा गैस डिलीवरी एजेण्ट (ड्राइवर) के साथ लूट करने वाले 05 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 10,000 (दस हजार रुपये) नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल अपाची, 01 अदद अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस व 01 अदद मोबाइल बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया महोदय श्री ओमवीर सिंह के द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मो0 फहीम कुरैशी के निकट पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष रेवती श्री संजय मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना रेवती पुलिस टीम ने हाल में की गयी लूट का किया गया सफल अनावरण।

उल्लेखनीय है कि थाना रेवती पर दिनांक-29.08.2025 को वादी गैस डिलीवरी एजेण्ट (ड्राइवर) द्वारा लूट के सम्बन्ध में सूचना देकर शिकायत किया गया कि मोटर साइकिल से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा असलहे के दम पर मेरे पास मौजूद 20,000 (बीस हजार रुपये) से भरा बैग व 01 अदद ओपो मोबाइल को लूट लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

इस क्रम में थाना रेवती पुलिस टीम दिनांक-04.09.2025 को थाना स्थानीय से रवाना होकर थानाक्षेत्र में अपराधियों की गिरफ्तारी/शांति/रात्रिगस्त व्यवस्था हेतु कुआ पीपर तिराहे पर मामूर थे कि मुखबीर खास से सूचना मिली कि थानाक्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों जे0एस0एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट के पास बैठे हैं, मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त स्थान पर पहुँचकर 05 नफर अभियुक्तों 1. रोहित ठाकुर पुत्र भिखारी ठाकुर निवासी दयाछपरा थाना बैरिया जनपद बलिया उम्र करीब 20 वर्ष 2. रितेश पाण्डेय पुत्र अजय पाण्डेय निवासी जमालपुर थाना बैरिया जनपद बलिया उम्र 25 वर्ष 3. अनीस रजक पुत्र विरेन्द्र रजक निवासी दयाछपरा थाना बैरिया जनपद बलिया उम्र 20 वर्ष 4. रोहित कुमार खरवार पुत्र श्रीकिशुन खरवार निवासी रामगढ़ थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र 26 वर्ष 5. अभिषेक प्रसाद उर्फ शंकर उर्फ खलनायक पुत्र दिलीप प्रसाद निवासी रामपुर थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 20 वर्ष को समय लगभग समय 02.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की जामा तलाशी से उनके कब्जे से 10,000 (दस हजार) रुपये नगद, 01 अदद मोटर साइकिल अपाची व 01 अदद मोबाइल बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक प्रसाद उर्फ शंकर उर्फ खलनायक उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि 29.08.2025 को बीर बहादुर सिंह के सामने गैस डिलीरी एजेण्ट (ड्राइवर) से हमी लोगों ने इसी बाइक से व तमंचे के बल पर लूट किया गया था, ये बचे पैसे लूट के ही हैं और पैसा हम लोगों के द्वारा खर्च कर दिया गया।

थाना स्थानीय द्वारा बरामद बाइक को एमवी एक्ट की कार्यवाही करते हुए सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 351/2025 धारा 309(4),61(2),304(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रेवती जनपद बलिया

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाची बाइक
2. लूट के 10,000 (दस हजार) रुपये नगद
3. 01 अदद तमंचा .315 बोर मय जिंदा कारतूस .315 बोर
4. 01 अदद मोबाइल ओप्पो

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक प्रसाद उर्फ शंकर उर्फ खलनायक का आपराधिक इतिहास-

- I. मु0अ0सं0 483/2023 धारा 379,411 भादवि थाना बैरिया जनपद बलिया
- II. मु0अ0सं0 485/2023 धारा 411 भादवि व 41 सीआरपीसी थाना बैरिया जनपद बलिया
- III. मु0अ0सं0 144/2023 धारा 379,411 भादवि थाना दोकटी जनपद बलिया
- IV. मु0अ0सं0 119/2023 धारा 379, भादवि थाना हल्दी जनपद बलिया
- V. मु0अ0सं0 173/2023 धारा 379,411,413,414,420,465,468,471 भादवि थाना हल्दी बलिया
- VI. मु0अ0सं0 174/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दी जनपद बलिया
- VII. मु0अ0सं0 231/2023 धारा 379,411 भादवि थाना फेफना जनपद बलिया

गैस एजेंसी कर्मों से लूट के पांच आरोपी धराए

बलिया, संवाददाता। गैस एजेंसी के डिलीवरी ब्याय के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूट का कुछ रुपया, घटना में प्रयुक्त बाइक, कट्टा-कारतूस बरामद किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों का चालान कर दिया। रेवती थाना क्षेत्र के क्षेत्र के छेरडीह निवासी राकेश पासवान रेवती कस्बा में स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी से सिलेंडर आपूर्ति का काम करता है।

शुक्रवार की दोपहर वह रिफिल की डिलीवरी करने के बाद वह वापस कुआपीपर स्थित गैस गोदाम पर आ रहा

था। वह नौआबारा गांव से आगे बढ़ा ही था कि दो बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने घेर लिया तथा हथियार के बल पर उसके पास मौजूद 22 हजार रुपए नकद तथा मोबाइल लूटकर फरार हो गये।

केस दर्ज कर जांच कर रही पुलिस ने गुरुवार को बैरिया थाना क्षेत्र के दयाछपरा निवासी रोहित ठाकुर और अनीसरजक, जमालपुर निवासी रितेश पांडेय, हल्दी थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी रोहित खरवार तथा रेवती थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी अभिषेक प्रसाद उर्फ शंकर उर्फ खलनायक को दबोच लिया।

गैस डिलीवरी एजेंट से लूट के छठे दिन पांच आरोपी गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

लूट के 10 हजार रुपये और घटना में प्रयुक्त बाइक तमंचा व कारतूस बरामद

बैरिया/रेवती। गैस डिलीवरी एजेंट (चालक) से लूट के मामले में पुलिस ने छठवें दिन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीओ फहीम कुरैसी ने बताया कि आरोपियों के पास से लूट के दस हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल व तमंचा, कारतूस, मोबाइल बरामद हुआ है।

सीओ ने बताया कि शौक पूरा करने के लिए गैंग बनाकर चोरी-छिनीती की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मुख्य सरगना अभिषेक प्रसाद पर जिले के विभिन्न थानों पर सात

मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इनके गैंग के अन्य सदस्यों की खोजबीन कर रही है। रसोई गैस सिलेंडर लेकर : 29 अगस्त को चालक राकेश पासवान सिलेंडरों की आपूर्ति कर नवाबारा कुआपीपर से गुजर रहा था। तभी नवाबारा से आगे दो बदमाशों ने उसे रोक लिया। कट्टा सटाकर गैस बिक्री के 17,794 रुपये और मोबाइल छीनकर भाग गए। चालक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

02. थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया पुलिस द्वारा अपहरण से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) महोदय श्री अनिल कुमार झा के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बाँसडीह श्री जय शंकर मिश्रा व थानाध्यक्ष बाँसडीह रोड श्री वंश बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में बाँसडीह रोड पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर उमेश राजभर पुत्र मुन्ना राजभर निवासी ग्राम साहोडीह थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया द्वारा भगा ले गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था विवेचना के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0 रमाशंकर यादव द्वारा मय हमराह टीम द्वारा मुखबिर खास पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2024 धारा 137(2), 87 बीएनएस से सम्बंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त उमेश राजभर पुत्र मुन्ना राजभर निवासी ग्राम साहोडीह थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया उम्र 23 वर्ष को ग्राम नरायणपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0न्यायालय भेजा जा रहा है।

सम्बन्धित मु0अ0सं0-

1. मु0अ0सं0 244/2024 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. उमेश राजभर पुत्र मुन्ना राजभर निवासी ग्राम साहोडीह थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया।

03. थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया पुलिस द्वारा चोरी से सम्बंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धर पकड़ के सघन अभियान के तहत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अनिल कुमार झा के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बांसडीह श्री जयशंकर मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना बांसडीह रोड पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 04.09.2025 को उ0नि0 सतीश यादव मय हमराह टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग, संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2025 धारा 305(a) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से सम्बंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त विशालनाथ शाह पुत्र राजनाथ शाह निवासी सुहवल थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष को एस.एस. पैरामाउण्ट स्कूल आमघाट के पास स्थित पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी की 01 अदद पैशन प्रो मोटर साइकिल रजि0 नं0 DL9SAF0848 को बरामद की गयी। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0न्यायालय भेजा जा रहा है।

सम्बंधित अभियोग-

मु0अ0सं0 147/2025 धारा 305(a) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. विशालनाथ शाह पुत्र राजनाथ शाह निवासी सुहवल थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया।

बरामदगी-

01 अदद पैशन प्रो मोटर साइकिल रजि0 नं0 DL9SAF0848

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 203/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना फेफना जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अनिकेत यादव पुत्र उमेश यादव निवासी सुबई बांध थाना सुखपुरा जनपद बलिया।